वर्ष 2020-21 का प्रगति विवरण/ प्रशासनिक प्रतिवेदन

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-05

वर्ष 2020-21 का प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन

बिन्दु संख्या-1 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

बी.आई.पी राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1958 के तहत पंजीकृत संस्था है। सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसके आयुक्त हैं एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसके अतिरिक्त आयुक्त हैं। बी.आई.पी. के लेखा एवं वित्त अनुभाग का दायित्व राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है। बी.आई.पी. पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित संस्था है तथा राज्य में निवेश संवर्द्धन एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। बी.आई.पी. में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा संस्था का कार्य निष्पादित किया जाता है।

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन की स्थापना राज्य को निवेश की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाने, राज्य की छवि को निवेश गन्तव्य के रूप में सुस्थापित करने, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के निवेशकों व प्रवासी भारतीयों को विनियोजन संबंधित समस्त जानकारी सुलभ कराने एवं निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से की गई। उद्योगों के अतिरिक्त बी.आई.पी. द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, आधारभूत ढाँचा, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, IT & ITES इत्यादि में भी निवेश प्रोत्साहित किया जाता है।

बिन्दु संख्या-2 स्वीकृत -कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

1. स्वीकृत - 60
2. कार्यरत पद - 42
3. रिक्त पद - 18

BUREAU OF INVESTMENT PROMOTION, RAJASTHAN
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-05
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

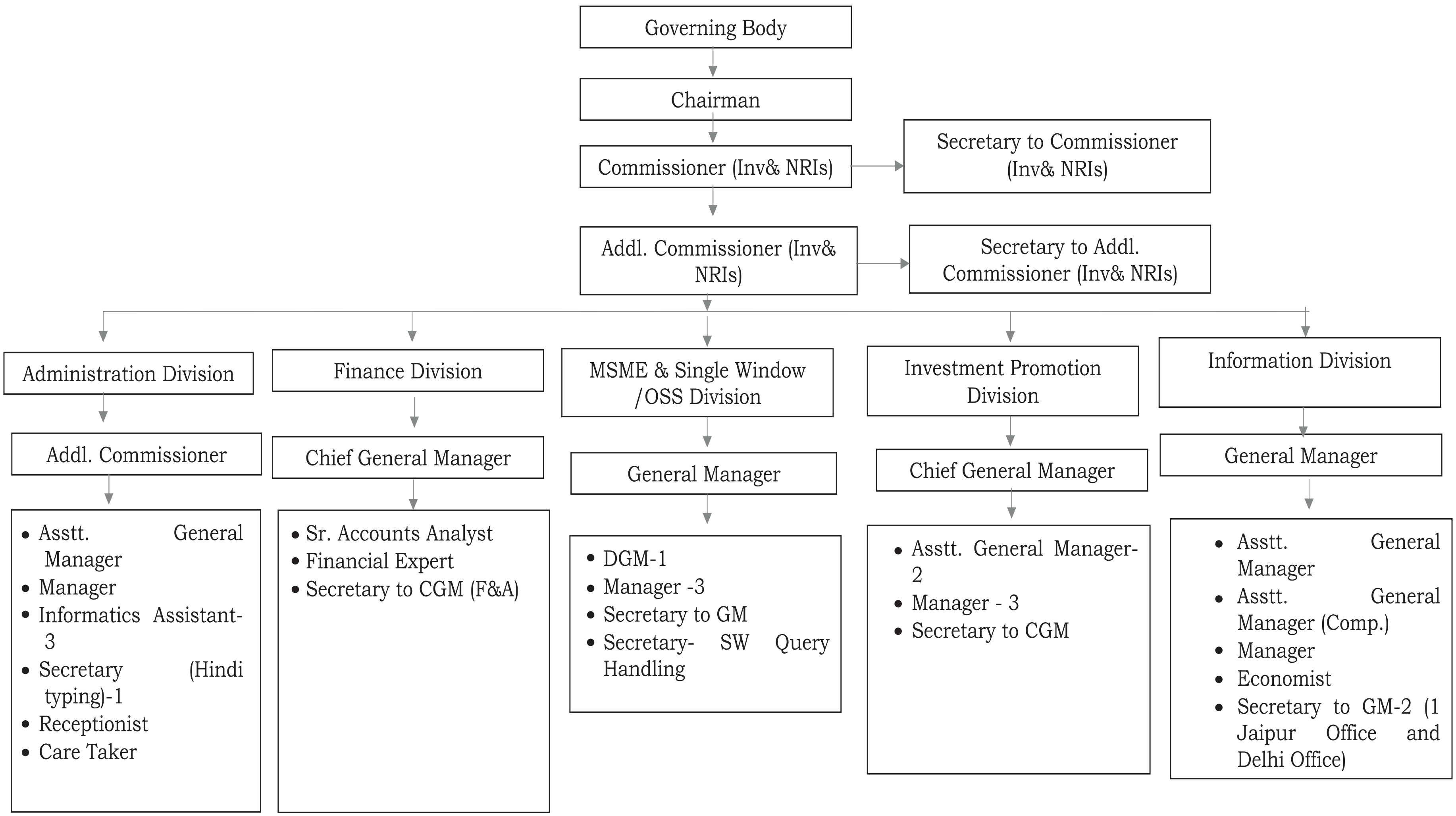

बिन्दु संख्या–3 विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना

प्रमुख कार्य	आलोच्य वर्ष में प्रगति	विगत 3 वर्ष में प्रगति
एकल खिड़की व्यवस्था	एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न विभागों से अनुमति/ स्वीकृति के लिये 41,957 आवेदन प्राप्त हुये जिनका प्रस्तावित निवेश रु. 1,908.85 करोड़ है। इनमें से 37,637 प्रस्तावों के लिये अनुमति जारी कर दी गई है जिनका प्रस्तावित निवेश रु. 1,269 करोड़ है।	एकल खिड़की व्यवस्था 1 जून, 2016 से आरंभ की गई थी जिसके तहत 02 जून, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न विभागों से अनुमति/स्वीकृति के लिये रु. 28,259.07 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 93,499 आवेदन प्राप्त हुये जिन में से रु. 22,004 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 74,728 प्रस्तावों के लिये अनुमति जारी कर दी गई है।
रिसर्जेन्ट राजस्थान–2015 के एमओयूस्	रिसर्जेन्ट राजस्थान–2015 के एम ओ यूस् में दिनांक 31.12.2020 तक क्रियान्वित परियोजनाएँ 82 से बढ़कर 85 हो गई है जिनसे रु. 19,528 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।	माह नवम्बर, 2015 में रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट का आयोजन किया गया था जिसके तहत विभिन्न सेक्टर्स में लगभग रु. 3.38 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 470 सहमति–पत्र हस्ताक्षरित किये गये थे जिसमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक रु. 18,852 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 82 परियोजनाऐं क्रियान्वित हो चुकी थीं।
सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंषित निवेश प्रस्ताव	सर्वाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 03.09.2020 को सम्पादित हुई 32वीं बैठक में रु. 47,408.81 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 5 परियोजनाये अनुशंषित की गई जिनके द्वारा 5851 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन प्रस्तावित है।	सर्वाधिकार प्राप्त समिति की जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक आयोजित 07 बैठकों में रु. 10,315.52 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 23 निवेश प्रकरण अनुशंषित किये गये।

बिन्दु संख्या–4 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

वन स्टॉप शॉप

- सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम का सुदृढ़ बनाने एवं निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा, त्वरित स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियां एक ही स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 राजस्थान विधान सभा द्वारा दिनांक 24.08.2020 को पारित किया गया एवं इस संबंध में गजट अधिसूचना दिनांक 16.09.2020 को जारी की जा चुकी है।
- इसके अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक 'बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट' का गठन करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2020 को आदेश जारी किया जा चुका है जो निवेश प्रस्तावों से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/अनुमतियों हेतु निर्णय प्रदान करेगा। संशोधन अधिनियम के नियमों हेतु दिनांक 26.11.2020 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
- प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों की सेवाएँ पार्ट टाइम बेसिस पर प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की ओर से दिनांक 01.12.2020 को आदेश जारी किया गया है।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को 'वन स्टॉप शॉप' प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल 'राज निवेश' का उद्घाटन किया जा चुका है।

एकल खिड़की (Single Window)

- उद्यमों की स्थापना के लिए सुलभ स्वीकृतियों हेतु भारत सरकार के ईओडीबी संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर, नई सिंगल विंडो व्यवस्था को 1 जून, 2016 को लागू किया गया। इस ऑनलाइन व्यवस्था को यूजर फ्रेंडली बनाते हुये पोर्टल पर एकल साइन-ऑन भुगतान गेटवे, ऑन-लाइन डाक्यूमेन्ट अपलोडिंग, ऑनलाइन अनुमोदन आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आवेदक को उसकी परियोजना संबंधी आवश्यक अनुमतियों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु गाइड-मी-विजर्ड सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये करों की दर/टैरिफ से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
- एकल खिड़की व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है और अप्रचलित फार्म/सेवाओं को हटाया जा रहा हैं। अब तक इसमें 14 विभागों की 107 सेवाएं उपलब्ध हैं।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019

- दिनांक 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019 जारी किया जा चुका है। एमएसएमई एक्ट के तहत 31 दिसम्बर, 2020 तक 8358 आवेदकों द्वारा राज उद्योग मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है जिनमें सूक्ष्म श्रेणी के 3513, लघु श्रेणी के 3025 एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के 1820 आवेदन सम्मिलित हैं।

वेबिनार/सम्मेलन

- बी.आई.पी ने माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक जयपुर, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव - 2020 (3-4 जनवरी, 2020), जोधपुर, इलकरामा (18-20 जनवरी, 2020) नोयडा, DEFEXPO-2020 (5-8 फरवरी, 2020), लखनऊ, कॉन्फ्रेन्स ऑन मेटल री-साइकलिंग इन इंडिया विजन फारवर्ड - ए क्लीन, ग्रीन इण्डिया (8-9 फरवरी, 2020), नई दिल्ली, CII Annual Day Session on Rajasthan: A Land of Opportunities for MSMEs and Industry (27 फरवरी, 2020 जयपुर) तथा Virtual Retail Supply Chain Expo (30-31 अगस्त, 2020), पीएचडीसीसीआई द्वारा डेवलपिंग राजस्थान एज सोलर कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया-इमेन्स अपॉर्चुनिटीस फॉर एमएसएमई (8 नवम्बर, 2020), फिक्की द्वारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन एनर्जी सेक्टर (2 नवम्बर, 2020), वर्चुअल ऑफ सी आई आई राजस्थान स्टेट कौंसिल (8 सितम्बर 2020), वेबिनार बेस्ड इंट्रोडक्शन विद यूएई इंडस्ट्री मेंबर्स ऑर्गनिसड बाई सी आई आई (23 नवम्बर, 2020), रीको द्वारा आयोजित ACMA सदस्यों हेतु वेबिनार (23 नवम्बर, 2020), पी.एच.डी.सी. सी. आई. द्वारा आयोजित डेवलपिंग फिल्म सीटीज इन राजस्थान वेबिनार (21 दिसम्बर, 2020) आदि वेबिनार/ आयोजनों में भाग लिया।
- इन सभी आयोजनों का उद्देश्य वर्तमान एवं संभावित निवेशकों एवं उद्यमियों से संवाद स्थापित करना, राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित एवं अन्य राज्यो द्वारा की जा रही पहल को समझना था।

बजट

- बी.आई.पी को वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रुपये 940 लाख आयोजना मद के अन्तर्गत अनुदान राशि के रूप में स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से माह दिसम्बर, 2020 तक रुपये 696.20 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

बिन्दु संख्या – 5   सार-संक्षेप

- इस वर्ष बी.आई.पी के प्रयासों से रु. 47408.81 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 05 निवेश प्रस्ताव सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशषित किये गये उक्त प्रस्तावो में आडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कंचन इण्डिया लिमिटेड, इलेक्ट्रानिक इण्डस्ट्रीज़ एसोसियेशन ऑफ इंडिया (एलसीना), वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड तथा हेमधा मेडिरिसोर्सेज परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
- इसके अतिरिक्त रु. 700.54 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 04 परियोजनाएं भी वर्ष 2020 में क्रियान्वित हुई जिसमें नितिन स्पीनर्स लिमिटेड, सुदिवा स्पीनर्स लिमिटेड, कंचन इण्डिया लिमिटेड आदि जैसे प्रतिष्ठित नाम सम्मिलित हैं।

रूपांकन एवं मुद्रण : कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005